न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 127/16

संस्थित दिनाँक-28.03.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला–भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरूद्ध

- कोकसिंह पुत्र वंशीलाल जाटव उम्र ४८ साल
- 2— 🏑 सुनील पुत्र कोकसिंह जाटव उम्र 22 साल
- 3— धर्मेन्द्र पुत्र कोकसिंह जाटव उम्र 25 साल
- देवेन्द्र पुत्र कोकसिंह जाटव उम्र 30 साल निवासीगण गाम बटी कर्दण शाना गोटट उ

__:: निर्णय ::— {आज दिनांक 09.11.2016 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 336 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंनें दिनांक 10.03.16 को 00:30 बजे रात्रि चतुरी जाटव के घर के पास बूटी कुईया में उपेक्षा व उतावलेपन से ईट पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी पक्ष का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 294, 323 तीन काउण्ट सहपिटत धारा 34 एवं 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 10.03.16 को फरियादी रामहेत अपने भाई की शादी में बूटी कुईया आया था। टीका होने के बाद अभियुक्गण आए और मां बहन की गालियां देने लगे। जब फरियादी ने मना किया तो उसे कोकसिंह ने खण्डा मारा जो दाए पैर में लगा, उदयसिंह ने सुनील को खण्डा मारा, धर्मेन्द्र जाटव ने दिनेश को ढण्डा मारा और देवेन्द्र जाटव ने भी दिनेश को खण्डा मारा। चारों आरोपीगण ईट पत्थर फेंक्कर मारने लगे जिससे लोगों की जान संकट में पड गयी। इसके बाद आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0—59/16 पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक तथा जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाए गए। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं किया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —
 1.क्या अभियुक्तगण ने दि0 10.03.16 को 00:30 बजे रात्रि चतुरी जाटव के घर के पास बूटी कुईया में उपेक्षा व उतावलेपन से ईट पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::–</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, रामहेत अ०सा० 2, उदयसिंह अ०सा० 3, दिनेश अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. फरियादी रामहेत यह कथन करते हैं कि घटना वर्ष 2016 के मार्च महीने की है। वे पवन की शादी में बूटी कुईया गए थे। शादी में अभियुक्तगण से मुंहवाद हो गया और धक्का मुक्की हो गयी जिससे उसे, दिनेश तथा उदयसिंह को गिरने से चोटें आई थी। साक्षी कथन करता है कि उसने इसी मुंहवाद की रिपोर्ट गोहद चौराहा थाने में की थी, रिपोर्ट प्र0पी0 5 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं तथा नक्शामौका प्र0पी0 6 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। आहत उदयसिंह अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी रामहेत के समान ही कथन करते हैं और रात के समय बाजा बजाने पर मना करने से आरोपीगण से मुंहवाद हो जाने तथा कथित मुंहवाद के समय अभियुक्तगण को गाली देने से रोकने पर धक्का मुक्की में स्वयं, दिनेश तथा रामहेत को गिरने से चोटें आने का कथन करते हैं। दिनेश अ0सा0 4 अभिसाक्ष्य में यही कथन करते हैं कि डी0जे0 चलाने के संबंध में विवाद हो जाने से धक्का मुक्की में गिरने के कारण उसे चोटें आई थी।
- 8. प्रकरण में फरियादी रामहेत अ०सा० 2 तथा आहतगण उदय व दिनेश जाटव द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किसी भी अभियुक्त द्वारा उनकी मारपीट किए जाने व उपेक्षा तथा उतावलेपन से ईट पत्थर आदि फेंककर मानव जीवन संकटापन्न करने का कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में पूछे जाने पर साक्षीगण द्वारा इस तथ्य से इंकार किया है कि अभियुक्तगण ने लापरवाही से ईटे फेंककर मारी थी जिससे उनका मानव जीवन संकटापन्न हुआ था। फरियादी रामहेत अ०सा० 2 अपने परीक्षण की कण्डिका 2 में इस तथ्य से इंकार करते हैं कि उन्होंने प्र०पी० 5 की रिपोर्ट में उक्त बी से बी भाग पर अभियुक्तगण का डण्डा लाठी से मारपीट करने व पत्थर फेंककर मारने की बात बताई थी। पुलिस कथन प्र०पी० 7 में भी उक्त तथ्य लेख कराए जाने से इंकार किया है। इसी प्रकार से आहत उदयसिंह अ०सा० 3 द्वारा पुलिस कथन

प्र0पी0 8 व आहत दिनेश अ0सा0 4 द्वारा पुलिस कथन प्र0पी0 9 में उक्त बातें बताए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से घटना के सर्वोत्तम साक्षियों एवं आहतगण द्वारा अधिरोपित आरोप धारा 336 के संबंध में अभियोजन का मामला संदेहास्पद कर दिया है। नक्शामौका प्र0पी0 6 में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाया गया है जहां पत्थर आदि पड़े हुए हों अथवा घटना के समय पत्थर आदि फेंके गए हों।

- 9. अभियोजन का यह तर्क है कि राजीनामा हो जाने के कारण साक्षीगण द्वारा असत्य कथन किया है। साक्षियों द्वारा इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा के कारण वे असत्य कथन कर रहे हैं। जहां तक प्राथमिकी प्र0पी0 5 का प्रश्न हैं तो प्राथमिकी स्वयं सारवान साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती। न्यायदृष्टान्त रिव कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। डा0 आलोक शर्मा अ०सा० 1 का कथन आहतगण को सुसंगत घटना के समय चोटें मौजूद होने के संबंध में किया गया कथन है जो कि धारा 336 के आरोपों के लिए सारवान नहीं रह जाता है।
- 10. ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण द्वारा अधिरोपित आरोप में वर्णित अपराध कारित किया गया हो। ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 336 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अभियुक्तगण संदेह के आधार पर दोषमुक्ति के पात्र है। अतः उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। अभियुक्तगण के निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।
- 12. जब्तशुदा डण्डे अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट किए जावें। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

सही / -

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / –
ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

AT N. TO 127.

ALLEN PAROLE SUN